



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका संख्या 4108/2005

श्रीमती ए. लाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

तथा अन्य संबंधित प्रकरण

आदेश

आदेश हेतु दिनांक 6-2-2007 को सूचीबद्ध करें

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरएकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्रीरिट याचिका क्रमांक 4108/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती ए. लाल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2784/2006

याचिकाकर्ता : कुमारी सविता मांझी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1818/2005

याचिकाकर्ता : करन साई



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1826/2005

याचिकाकर्ता : पूरन दास

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1827/2005

याचिकाकर्ता : पी.के. बख्शी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1828/2005

याचिकाकर्ता : विजय मोहन दुबे

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1829/2005

याचिकाकर्ता : अशोक कुमार राय दास

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 1830/2005

याचिकाकर्ता : प्रदीप कुमार जैन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1831/2005

याचिकाकर्ता : प्रदीप शांताराम खिरवाडकर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1832/2005

याचिकाकर्ता : कैलाश प्रकाश पांडे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1833/2005

याचिकाकर्ता : विदुर शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1834/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती शेफाली दास

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1835/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती शकुंतला पिल्लई

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1836/2005

याचिकाकर्ता : सीता राम

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1837/2005

याचिकाकर्ता : जे.के. सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1838/2005

याचिकाकर्ता : रामाधार वर्मा





बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1839/2005

याचिकाकर्ता : राम लखन मिश्रा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1840/2005

याचिकाकर्ता : मनोज कुमार जैन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1841/2005

याचिकाकर्ता : केशव प्रसाद





बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1842/2005

याचिकाकर्ता : सुरेंद्र बहादुर सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1843/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती रिक्ता पाँल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1844/2005

याचिकाकर्ता : आर.सी. जैन

बनाम





उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1845/2005

याचिकाकर्ता : राम प्रसाद

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1846/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास्तव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1847/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती संगीता राय

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 1848/2005

याचिकाकर्ता : कपिल देव पाठक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2960/2005

याचिकाकर्ता : टी.आर. कश्यप

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2961/2005

याचिकाकर्ता : एम. पैक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2962/2005



याचिकाकर्ता : एस. कुमार

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2963/2005

याचिकाकर्ता : ए. गांडिया

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2964/2005

याचिकाकर्ता : टी.के. दास

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2965/2005

याचिकाकर्ता : एस. नंद





बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2966/2005

याचिकाकर्ता : कु. एस. सोना

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2967/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती एच.गाडिया

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2968/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती वी. एस. कुवर

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2969/2005

याचिकाकर्ता : ई.एच. नथानिएल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 2970/2005

याचिकाकर्ता : पावल नाग

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2971/2005

याचिकाकर्ता : नबोद कुलदीप

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2981/2005

याचिकाकर्ता : गणेश राम पटेल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2982/2005

याचिकाकर्ता : जयपाल कुमार वर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2983/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती पी.ई. नथानिएल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2984/2005

याचिकाकर्ता : धनुर्जय भोई

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3018/2005

याचिकाकर्ता : जे.बी. कश्यप

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3019/2005

याचिकाकर्ता : एन.के. प्रधान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3021/2005



याचिकाकर्ता : एल. एल. मिश्रा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3022/2005

याचिकाकर्ता : शिवचरण कश्यप

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3024/2005

याचिकाकर्ता : जयदेव नाग

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3025/2005

याचिकाकर्ता : उजल राजहंस





बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3026/2005

याचिकाकर्ता : पी.एन.नीलागर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3027/2005

याचिकाकर्ता : रामनिधि पोरे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3028/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती वी. कुमार

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3029/2005

याचिकाकर्ता : एन.बी. राम

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3030/2005

याचिकाकर्ता : एच. कुमार

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3031/2005

याचिकाकर्ता : पी.एन. त्रिपाठी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3032/2005

याचिकाकर्ता : वी.एम. नंद

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3033/2005

याचिकाकर्ता : चंद्रसेन स्वर्णकार

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3034/2005

याचिकाकर्ता : महेश राम स्वर्णकार

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3035/2005



याचिकाकर्ता : एच. सी. पटेल
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3102/2005

याचिकाकर्ता : एल.पी. प्रधान
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3263/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती जवा कुसुम मजूमदार
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3474/2005

याचिकाकर्ता : बी.एल. प्रधान



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3475/2005

याचिकाकर्ता : वी.के. नायक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3476/2005

याचिकाकर्ता : जे.आर. नाइक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3477/2005

याचिकाकर्ता : एस.आर. पटेल

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3478/2005

याचिकाकर्ता : बी.एल. बागर्ती

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3479/2005

याचिकाकर्ता : टी.सी. प्रधान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3480/2005

याचिकाकर्ता : खेम राज पटेल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3481/2005

याचिकाकर्ता : कृपा राम पटेल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3482/2005

याचिकाकर्ता : बी.एल. छत्रपति

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3483/2005

याचिकाकर्ता : सी.आर. चौधरी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3484/2005



याचिकाकर्ता : के.एस. प्रधान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3485/2005

याचिकाकर्ता : विमल कुमार साहू

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3486/2005

याचिकाकर्ता : सेत कुमार यादव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3487/2005

याचिकाकर्ता : सत्यानंद भोई



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3488/2005

याचिकाकर्ता : ए.सी.दास

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6156/2005

याचिकाकर्ता : डी.सी.द्वियेदी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3558/2005

याचिकाकर्ता : दिनेश कुमार अग्रवाल एवं अन्य

बनाम





उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3576/2005

याचिकाकर्ता : बी.यू.बी. रेड्डी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3577/2005

याचिकाकर्ता : पी. भोगी राजू

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3578/2005

याचिकाकर्ता : वाई. वीरा स्वामी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3579/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती एन. लक्ष्मी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3580/2005

याचिकाकर्ता : एम. शिव प्रसाद

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3581/2005

याचिकाकर्ता : जे. गणपति राव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3582/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती एम. रत्ना बाई

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3583/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती बी. रमा भारती

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3585/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती के. विजयलक्ष्मी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3586/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती सुनंदा रानी डे



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3587/2005

याचिकाकर्ता : वी. सुब्रमण्यम्

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3588/2005

याचिकाकर्ता : आई. वेंकट रमण

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3589/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती वाई. शारदा

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3590/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती ए. शोभा नायडू

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3591/2005

याचिकाकर्ता : के.सोमा शेखर शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3592/2005

याचिकाकर्ता : एम. रामा राव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 3783/2005

याचिकाकर्ता : अक्षय कुमार और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3784/2005

याचिकाकर्ता : महेश कुमार चंद्राकर एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3803/2005

याचिकाकर्ता : महेंद्र कश्यप

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3804/2005



याचिकाकर्ता : राजेश चंद्र साहू

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3805/2005

याचिकाकर्ता : बी.जे. कुमार

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3806/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती एन.गोटलिब

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3822/2005

याचिकाकर्ता : एम.आर. कश्यप



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3823/2005

याचिकाकर्ता : चैतराम यादव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3829/2005

याचिकाकर्ता : वी.के.पुरोहित

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3830/2005

याचिकाकर्ता : बी.पी. साहू

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3831/2005

याचिकाकर्ता : जे.बी. प्रधान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3832/2005

याचिकाकर्ता : एस.डी. प्रधान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3833/2005

याचिकाकर्ता : टी.एल. यदु

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3835/2005

याचिकाकर्ता : जोगसिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3836/2005

याचिकाकर्ता : आर.एन. प्रधान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3837/2005

याचिकाकर्ता : आई.जी. गोस्वामी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3838/2005



याचिकाकर्ता : जे.के. भोई

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3839/2005

याचिकाकर्ता : एस.एन. साहू

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3841/2005

याचिकाकर्ता : अनंत राम

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3861/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती उमा शील



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3862/2005

याचिकाकर्ता : संध्या रानी जेना

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3863/2005

याचिकाकर्ता : एम.वी.एम. सत्य नारायण

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3865/2005

याचिकाकर्ता : के.सी. पांडा

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3874/2005

याचिकाकर्ता : राधव राम राजपूत

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3878/2005

याचिकाकर्ता : पी. मेहर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3879/2005

याचिकाकर्ता : वी.बी.सतपथी



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3880/2005

याचिकाकर्ता : आर.एस. प्रधान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3881/2005

याचिकाकर्ता : सुरेंद्र भोई

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3884/2005

याचिकाकर्ता : ओ.पी. चौधरी

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3887/2005

याचिकाकर्ता : गजराज प्रधान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3888/2005

याचिकाकर्ता : एच.के. पात्रो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3896/2005

याचिकाकर्ता : के.एन. पटेल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3900/2005

याचिकाकर्ता : पी. भोई

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3901/2005

याचिकाकर्ता : सी.आर. प्रधान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3902/2005

याचिकाकर्ता : के.आर. पटेल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3903/2005



याचिकाकर्ता : आर.के. प्रधान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3904/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती जनक प्रधान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3905/2005

याचिकाकर्ता : एस.आर. पटेल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3906/2005

याचिकाकर्ता : परमानंद भोई



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3908/2005

याचिकाकर्ता : एस. डे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3909/2005

याचिकाकर्ता : एन.सी. डे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3910/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती डी. दास

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3911/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती टी. मुखर्जी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3912/2005

याचिकाकर्ता : पी.के. बरुई

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3913/2005

याचिकाकर्ता : आर.बी. चौधरी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3914/2005

याचिकाकर्ता : एम. डे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3915/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती रीता रोय

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3916/2005

याचिकाकर्ता : बी.एम. चौधरी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3917/2005



याचिकाकर्ता : बी.के. सरकार

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3918/2005

याचिकाकर्ता : जे. चौधरी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3919/2005

याचिकाकर्ता : ए. डे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3920/2005

याचिकाकर्ता : सुजीत राय



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3933/2005

याचिकाकर्ता : राम खिलावन सर्फ

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3934/2005

याचिकाकर्ता : नरेंद्र कुमार दुबे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3935/2005

याचिकाकर्ता : सरिता शुक्ला

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3936/2005

याचिकाकर्ता : राम गोपाल तिवारी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3937/2005

याचिकाकर्ता : कु. ई. लुइस

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3939/2005

याचिकाकर्ता : सुनील फ्रांसिस

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3940/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती जॉली विंसेंट
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3941/2005

याचिकाकर्ता : नीरज श्रीवास्तव
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3942/2005

याचिकाकर्ता : सुश्री पी राजना नायडू
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3943/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती कुसुम बाई

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3945/2005

याचिकाकर्ता : स्टीवन लोजारस

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3946/2005

याचिकाकर्ता : अविनाश चंद्र उपाध्याय

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3947/2005

याचिकाकर्ता : अलोइस मिंज



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3948/2005

याचिकाकर्ता : रणजीत सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3949/2005

याचिकाकर्ता : एंथोनी लाकड़ा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3950/2005

याचिकाकर्ता : मनोज के. एस. बघेल

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3951/2005

याचिकाकर्ता : सिरीश कुरान्दे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3952/2005

याचिकाकर्ता : कॉर्नेलियस कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3953/2005

याचिकाकर्ता : बोनिफेस कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3954/2005

याचिकाकर्ता : नाबोर केरकेट्टा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3955/2005

याचिकाकर्ता : गौतम सिंह गहरवार

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3957/2005

याचिकाकर्ता : मनिहार लाकड़ा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3958/2005



याचिकाकर्ता : अनुरंजन केरकेटा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3959/2005

याचिकाकर्ता : अलोइस लाकडा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3960/2005

याचिकाकर्ता : निर्मल एकका

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3961/2005

याचिकाकर्ता : लक्ष्मी प्रसाद सिन्हा



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3991/2005

याचिकाकर्ता : कौड़ा राव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3992/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती आर.पाठक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3993/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती मुन्नी सिंह

बनाम





उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3994/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती पी. कच्छप

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3995/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती सबीना जाल्कसो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3996/2005

याचिकाकर्ता : अजीत कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3997/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती क्रिस्टीना तिंगगा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3998/2005

याचिकाकर्ता : कु. फुलकेरिया कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3999/2005

याचिकाकर्ता : इसाक तिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4000/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती शारदा देवी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4001/2005

याचिकाकर्ता : कु.पी.एस.जेमा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4002/2005

याचिकाकर्ता : सुषमा टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4003/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती ए.एफ. हाशमी



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4004/2005

याचिकाकर्ता : आर.के. लाल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4005/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती एस. एम्बिला

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4006/2005

याचिकाकर्ता : मुनि सिंह

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4007/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती यजना बोरकर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4036/2005

याचिकाकर्ता : पंकज मिश्रा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4037/2005

याचिकाकर्ता : ई.के. एंथोनी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4038/2005



याचिकाकर्ता

श्रीमती एफ.मिंज

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4039/2005

याचिकाकर्ता

पी. चिन्ना राव

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4042/2005

याचिकाकर्ता

देवेश अवस्थी

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4043/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती मौली रुबेन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4044/2005

याचिकाकर्ता : एंथनी बाराइक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4045/2005

याचिकाकर्ता : पायस टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4046/2005

याचिकाकर्ता : आनंद कुमार टोप्पो



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4047/2005

याचिकाकर्ता : मिस दीसि टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4048/2005

याचिकाकर्ता : प्रकाश तिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4049/2005

याचिकाकर्ता : देवनिस एक्का

बनाम



उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4050/2005

याचिकाकर्ता : एम.सी. सारंगी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4051/2005

याचिकाकर्ता : हेमंत मिंज

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4052/2005

याचिकाकर्ता : दिलीप केरकेट्टा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4053/2005

याचिकाकर्ता : जय मसीह लकाड़ा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4054/2005

याचिकाकर्ता : राफेल टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4055/2005

याचिकाकर्ता : हरमन बारा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1799/2005



याचिकाकर्ता : बालाजी सिंह खरसाण

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4105/2005

याचिकाकर्ता : आबिद एकका

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4107/2005

याचिकाकर्ता : विवेक रंजन जायसवाल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4109/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती आशा द्विवेदी



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4110/2005

याचिकाकर्ता : वी.बरगाह

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4111/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती एस.एम. उपाध्याय

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4112/2005

याचिकाकर्ता : एस.सी. सोनी

बनाम





उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4113/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती एस. देशपांडे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4114/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती प्रभा मुंजे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4117/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती राजी कुमारी ठाकुर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4118/2005

याचिकाकर्ता

श्रीमती एस. मिश्रा

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4119/2005

याचिकाकर्ता

अशोक सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4120/2005

याचिकाकर्ता

विलियम टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4121/2005



याचिकाकर्ता : बरनबास कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4161/2005

याचिकाकर्ता : चंद्र किरण मसीह

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4162/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती एस.एन. एंड्रयूज

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4163/2005

याचिकाकर्ता : मंजुला हेनरी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4164/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती अलका साधु
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4165/2005

याचिकाकर्ता : लक्ष्मी प्रसाद यादव
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4166/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती ममता रानी कंवर
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4167/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती एस.एल. जॉन्स

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4168/2005

याचिकाकर्ता : बी.आर. चंद्रनाहू

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4169/2005

याचिकाकर्ता : बेनेडिक्ट मिंज

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4170/2005

याचिकाकर्ता : एच. एंथोनी



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4171/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती डी.फ्रैंकलिन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4172/2005

याचिकाकर्ता : आई. मिंज

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4173/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती एस.एक्का

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4174/2005

याचिकाकर्ता : जंग बहादुर गुरुंग

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4175/2005

याचिकाकर्ता : विक्टर बरवा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4176/2005

याचिकाकर्ता : जगदेव राम

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4177/2005

याचिकाकर्ता

रोनाल्ड आर. पीटर

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4178/2005

याचिकाकर्ता

श्रीमती अर्चना दास

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4179/2005

याचिकाकर्ता

मिस रुखसाना उस्मानी

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4180/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती पी.एस. पिल्लई

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4181/2005

याचिकाकर्ता : रामेश्वर प्रसाद चंद्राकर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4182/2005

याचिकाकर्ता : मिस एस. एम. लाल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4185/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती टी.एमील्या हेमलता



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4186/2005

याचिकाकर्ता : संतोष कुमार यादव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4187/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती विवियन स्कॉट

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4188/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती ए.एम. बार्ड

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4189/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती मृदुला पीटर



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4218/2005

याचिकाकर्ता : एच.के. देशमुख

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4222/2005

याचिकाकर्ता : डी.के. परेता

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4224/2005

याचिकाकर्ता : आई.पी. साहू

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4225/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती रजी वड्डन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4226/2005

याचिकाकर्ता : पी.एन. अग्रवाल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकाकर्ता : डी.के.स्वर्णकार

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4228/2005

याचिकाकर्ता : रवि कुमार शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4229/2005





याचिकाकर्ता : एन.के. रॉयज़ादा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4230/2005

याचिकाकर्ता : पी.एल. देवांगन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 4231/2005

याचिकाकर्ता : एम.एल. शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4232/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4233/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती उषा देशमुख
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4234/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती सुधा नाथ
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4235/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती उषा थोके
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4236/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती कमर सुल्ताना
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4237/2005



याचिकाकर्ता : जी.डी.जांगडे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4238/2005

याचिकाकर्ता : आर.के. देव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 4248/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती अंजलि श्रीवास्तव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4249/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती ललिता ठाकुर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4321/2005



याचिकाकर्ता : अशोक हजारा एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4322/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती चित्रा नागपाल और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4459/2005

याचिकाकर्ता : सुखी राम

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4460/2005

याचिकाकर्ता : के.एस. ठाकुर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4461/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती एन.चोपड़ा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4462/2005

याचिकाकर्ता : राम सिंह कैवर्त

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4469/2005

याचिकाकर्ता : एन.के. तिवारी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4471/2005

याचिकाकर्ता : आर.एन. जायसवाल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4472/2005





याचिकाकर्ता : आर.एल. विश्वकर्मा
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4473/2005

याचिकाकर्ता : आर.के. तिवारी
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4474/2005

याचिकाकर्ता : कु. पी. कासर
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4475/2005

याचिकाकर्ता : थामस पी.सी.
बनाम
उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4476/2005



याचिकाकर्ता : महेंद्र कुमार

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4477/2005

याचिकाकर्ता : वी.के. माहेश्वरी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4478/2005

याचिकाकर्ता : एन.के. देवांगन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4479/2005

याचिकाकर्ता : सुनीता निगम

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4480/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती आर. एम. शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4481/2005

याचिकाकर्ता : के.सी. पांडे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4482/2005

याचिकाकर्ता : एम.डी. सेन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4483/2005

याचिकाकर्ता : एस.के. सावरकर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4484/2005



याचिकाकर्ता : अमृत लाल साहू

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4485/2005

याचिकाकर्ता : माखनपुरी गोस्वामी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकाकर्ता : मोहन लाल शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4487/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती कांति बघेल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4488/2005





याचिकाकर्ता : अरुणा हरिहरनो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4489/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती बी. लीला पटनायक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4490/2005

याचिकाकर्ता : बी.एल. चंद्रेल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4491/2005

याचिकाकर्ता : वी.पी. मिश्रा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4492/2005





याचिकाकर्ता : वी.पी. शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4493/2005

याचिकाकर्ता : टी.के. चौधरी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकाकर्ता : आनंद कुमार मंडल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4512/2005

याचिकाकर्ता : राधा गोविंद तिवारी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4513/2005



याचिकाकर्ता : कु. मार्गरेट फिलिप
बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4514/2005

याचिकाकर्ता : बी.एल. कुशवाहा
बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4517/2005

याचिकाकर्ता : जेम्स एक्का
बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4518/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती स्वरूप बाई डनसेना
बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4519/2005



याचिकाकर्ता : शिबापद बैच

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4520/2005

याचिकाकर्ता : देव कुमार गुप्ता

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4521/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती प्रभासिंह राणा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4525/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती एन. शेख एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4529/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती अख्तर शाह
बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4530/2005

याचिकाकर्ता : कुमारी रेहाना शहनाज

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4531/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती कटीर खान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4532/2005

याचिकाकर्ता : भाऊ राव बागडे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4533/2005

याचिकाकर्ता

:

एन.वी. राव

बनाम

उत्तरवादीगण

:

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4534/2005

याचिकाकर्ता

:

श्रीमती डी.एस. लक्ष्मी

बनाम

उत्तरवादीगण

:

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4535/2005

याचिकाकर्ता

:

डी. राम

बनाम

उत्तरवादीगण

:

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4663/2005

याचिकाकर्ता

:

रत्नेश बैंजामिन एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण

:

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 4664/2005

याचिकाकर्ता : मोहम्मद शोएब अंसारी एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4680/2005

याचिकाकर्ता : जोसेफ तिंगा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4681/2005

याचिकाकर्ता : कु. मैरी पटेल खलको और

अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4682/2005

याचिकाकर्ता : भिंसेट कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 4683/2005

याचिकाकर्ता : मार्क्स पन्ना

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4684/2005

याचिकाकर्ता : रुबेन तिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4685/2005

याचिकाकर्ता : अनुग्रह कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4713/2005

याचिकाकर्ता : राधा श्याम बारिक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4737/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती सुलोचना

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4739/2005

याचिकाकर्ता : निकोडिन बरवा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4740/2005

याचिकाकर्ता : शंकर राम गुसा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4745/2005

याचिकाकर्ता : जेम्स एक्का



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4746/2005

याचिकाकर्ता : सुश्री एरिक मैरी रोज बैचमैन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4747/2005

याचिकाकर्ता : फुलजीन लंकरा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4749/2005

याचिकाकर्ता : मार्टिन टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4767/2005

याचिकाकर्ता : एम. कलीम



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4785/2005

याचिकाकर्ता : सुरेश चंद शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4798/2005

याचिकाकर्ता : कु. अनास्तासिया कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4800/2005

याचिकाकर्ता : कु. इमरजेंसी एक्का

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4801/2005



याचिकाकर्ता : एडवर्ड तिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4802/2005

याचिकाकर्ता : कु. देवदत्त एकका

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4803/2005

याचिकाकर्ता : कुमारी सबीना लाकड़ा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4804/2005

याचिकाकर्ता : कुमारी कार्मला एकका

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4805/2005





याचिकाकर्ता : सुश्री क्लेमेंटिना टिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4806/2005

याचिकाकर्ता : कुमारी लॉरेंसिया लाकड़ा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4807/2005

याचिकाकर्ता : मार्टिन एक्का

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4808/2005

याचिकाकर्ता : कुमारी दिलबासो एक्का

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4809/2005



याचिकाकर्ता : हरिल राम

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4810/2005

याचिकाकर्ता : कु. बर्था टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4811/2005

याचिकाकर्ता : रानी लावेन्ज्या कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4812/2005

याचिकाकर्ता : सुश्री सुजाना कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4813/2005





याचिकाकर्ता

सुश्री तसिला टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4814/2005

याचिकाकर्ता

सुश्री मैरी फ्रांसिस्का लाकड़ा

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4815/2005

याचिकाकर्ता

कु. एग्नेस लाकड़ा

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4816/2005

याचिकाकर्ता

वर्जीना केरकेटा

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 4817/2005

याचिकाकर्ता

:

सेल्वेस्टर एक्का

बनाम

उत्तरवादीगण

:

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4859/2005

याचिकाकर्ता

:

श्रीमती एस. रॉय

बनाम

उत्तरवादीगण

:

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4860/2005

याचिकाकर्ता

:

श्रीमती के. तालुकदार

बनाम

उत्तरवादीगण

:

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4861/2005

याचिकाकर्ता

:

श्रीमती एम. रॉय

बनाम

उत्तरवादीगण

:

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 4862/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती एस. भट्टाचार्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5004/2005

याचिकाकर्ता : वी.टी. पीटर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5086/2005

याचिकाकर्ता : एम.आर. देवांगन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5088/2005

याचिकाकर्ता : एफ.एल. पांडे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 5089/2005

याचिकाकर्ता

बी.एल. शांडिल्य

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5090/2005

याचिकाकर्ता

एस.एन. चौधरी

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5092/2005

याचिकाकर्ता

आर.एल. साहू

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5093/2005

याचिकाकर्ता

एच.जी. गोस्वामी

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 5135/2005

याचिकाकर्ता : विनोद कुमार शर्मा एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5191/2005

याचिकाकर्ता : जोगचिम किस्पटा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5236/2005

याचिकाकर्ता : निरयुस लकारा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5237/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती मारिस्टेला लकारा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 5238/2005

याचिकाकर्ता

: सुश्री चोन्हंती तिर्की

बनाम

उत्तरवादीगण

: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5239/2005

याचिकाकर्ता

: कु. स्कोलास्टिका सोरेंग

बनाम

उत्तरवादीगण

: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5240/2005

याचिकाकर्ता

: श्रीमती जेसिंता कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण

: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5241/2005

याचिकाकर्ता

: हिलारियस मिंज

बनाम

उत्तरवादीगण

: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5242/2005

याचिकाकर्ता

अब्राहम लकड़ा

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5243/2005

याचिकाकर्ता

कु. विक्टोरिया टर्की

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5245/2005

याचिकाकर्ता

अथानस कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5252/2005

याचिकाकर्ता

सुरेश चंद्र महापात्रा

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य



रिट याचिका क्रमांक 5253/2005

याचिकाकर्ता : जेर्मरियस कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5254/2005

याचिकाकर्ता : विनय कुमार गुप्ता

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5255/2005

याचिकाकर्ता : देवनंदन प्रसाद

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5256/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती जसिंता एकका

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5257/2005



याचिकाकर्ता : फेलिसिता बेक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5258/2005

याचिकाकर्ता : राम प्रताप तिवारी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5259/2005

याचिकाकर्ता : अथानास बारा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5303/2005

याचिकाकर्ता : विलियम लकरा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5304/2005

याचिकाकर्ता : अमलदास मिंज



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5305/2005

याचिकाकर्ता : एलिसियस कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5306/2005

याचिकाकर्ता : देवशरण पांडे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5307/2005

याचिकाकर्ता : अरुण कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5308/2005

याचिकाकर्ता : हिजनस टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5309/2005



याचिकाकर्ता : हिजनस केरकेटा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5310/2005

याचिकाकर्ता : मरियानुस एक्का

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5311/2005

याचिकाकर्ता : ग्रेगोरी तिंगा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5312/2005

याचिकाकर्ता : बिरसु सिंह ठाकुर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5313/2005

याचिकाकर्ता : राजकुमार प्रसाद मिश्रा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5314/2005



याचिकाकर्ता : श्रीमती ज्योति केरकेटा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5430/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती सिलमंती तिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5446/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती मेरी एक्का

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5470/2005

याचिकाकर्ता : भास्कर दत्ता तिवारी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5531/2005

याचिकाकर्ता : नेस्तोरे तिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5532/2005

याचिकाकर्ता : थियोफिल कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5533/2005

याचिकाकर्ता : सुश्री सुशिता डुंगडुंग

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5534/2005

याचिकाकर्ता : क्लेरा टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5535/2005

याचिकाकर्ता : व्यातोरे कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5536/2005

याचिकाकर्ता : अगस्त लकरा



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5537/2005

याचिकाकर्ता : सुश्री प्रफुल्ल कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5538/2005

याचिकाकर्ता : खेतू राम पांडा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5542/2005

याचिकाकर्ता : बिहारी लाल राठिया

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5560/2005

याचिकाकर्ता : विलियम टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5561/2005

याचिकाकर्ता : पैट्रिक बखला

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5582/2005

याचिकाकर्ता : योगल कुमार तिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5583/2005

याचिकाकर्ता : विजय एकका

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5584/2005

याचिकाकर्ता : मिखाइल एकका

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5585/2005

याचिकाकर्ता : फिलमोन लकरा



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5586/2005

याचिकाकर्ता : रुडोल्फ एक्का

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5587/2005

याचिकाकर्ता : जेरोम लकारा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5588/2005

याचिकाकर्ता : अगस्त एक्का

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5589/2005

याचिकाकर्ता : क्लेमेंट तिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5590/2005

याचिकाकर्ता : कु. मटिंडा लकरा



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5606/2005

याचिकाकर्ता : हबील एक्का

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5607/2005

याचिकाकर्ता : सेराफिम केरकेट्टा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5608/2005

याचिकाकर्ता : रेंगसा इंदनार

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5609/2005

याचिकाकर्ता : थियोफिल कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5610/2005



याचिकाकर्ता : रुबेन कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5611/2005

याचिकाकर्ता : भूषण खलको

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5614/2005

याचिकाकर्ता : ज्योति प्रकाश तिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5615/2005

याचिकाकर्ता : इशाक तिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5619/2005

याचिकाकर्ता : फैबियानस बेक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5620/2005



याचिकाकर्ता : प्रवीण कु. सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5621/2005

याचिकाकर्ता : अनिल कु. गुसा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5622/2005

याचिकाकर्ता : पास्कल खेस

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5623/2005

याचिकाकर्ता : अजीत प्रफुल मिंज

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5624/2005

याचिकाकर्ता : हरमनस बक्सला

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5625/2005





याचिकाकर्ता : एलोइस वाल्सोनी मिंज

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5626/2005

याचिकाकर्ता : क्लेमेंट लकरा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5627/2005

याचिकाकर्ता : बलदाऊ प्रसाद स्वर्णकार एवं

अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5628/2005

याचिकाकर्ता : बसंत कुमार चंद्राकर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5629/2005

याचिकाकर्ता : क्लेटस तिकी



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5630/2005

याचिकाकर्ता : टेलीसोफ्टोर कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5644/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती जोड़स लारेन्श सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5687/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती आपी कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5688/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती रेजिना कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5689/2005

याचिकाकर्ता : अशोक कु. तिगा



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5690/2005

याचिकाकर्ता : बैंजामिन लाकड़ा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5691/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती जसिंता केरकेट्टा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5692/2005

याचिकाकर्ता : विलियम तिर्की

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5693/2005

याचिकाकर्ता : ग्रेगोरी एक्का

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5694/2005



याचिकाकर्ता : विंसेंट लाकडा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5695/2005

याचिकाकर्ता : जोहान बेक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5696/2005

याचिकाकर्ता : लिबनस खाखा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5697/2005

याचिकाकर्ता : फिलिप तिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5698/2005

याचिकाकर्ता : सिरिल जाक्सो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5699/2005





याचिकाकर्ता : माइकल बेक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5700/2005

याचिकाकर्ता : रेमिस बारा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5701/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती लूसिया तिकी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5702/2005

याचिकाकर्ता : सुश्री डोरोथिया केरकेटा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5703/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती ज्योति लाकड़ा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5704/2005



याचिकाकर्ता : पास्कल खलखो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5705/2005

याचिकाकर्ता : अल्बिनस केरकेट्टा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5706/2005

याचिकाकर्ता : कु. सुजाना टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5707/2005

याचिकाकर्ता : सुश्री दयावानित मिंज

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5708/2005

याचिकाकर्ता : पुष्पा खाक्सा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5709/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती सेलसा मिंज
बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5710/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती सोफिया किस्पोट्टा
बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5711/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती ज्योति तिग्गा
बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5719/2005

याचिकाकर्ता : लुकास टोप्पो
बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5807/2005

याचिकाकर्ता : जय कुमार लकड़ा



बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5997/2005

याचिकाकर्ता : धीरेंद्र कुमार मिश्रा एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5998/2005

याचिकाकर्ता : कु. ग्रेस मरियम तिकी एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6034/2005

याचिकाकर्ता : घनश्याम गुप्ता

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6035/2005

याचिकाकर्ता : लिनस टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6036/2005



याचिकाकर्ता : ललित कुमार लकड़ा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6037/2005

याचिकाकर्ता : हेलियारस खाखा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6038/2005

याचिकाकर्ता : बरदान टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6039/2005

याचिकाकर्ता : यशपाल कुजूर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6040/2005

याचिकाकर्ता : नश्रित तिंगा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6041/2005



याचिकाकर्ता : इलियाज़र टोप्पो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6042/2005

याचिकाकर्ता : विजय कुमार सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6043/2005

याचिकाकर्ता : श्रीमती पुष्पा खलखो

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6086/2005

याचिकाकर्ता : गयानंद प्रसाद पांडे एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6281/2005

याचिकाकर्ता : आर.एस. राय एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6282/2005



याचिकाकर्ता : रामानंद सोनी एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6334/2006

याचिकाकर्ता : जगदत्त प्रसाद शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6336/2006

याचिकाकर्ता : शंभू दयाल साहू

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6335/2006

याचिकाकर्ता : दशरथ लाल यादव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3988/2005

याचिकाकर्ता : राम कुमार केशरवानी एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3864/2005



याचिकाकर्ता : लम्बोदर पोड

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2609/2006

याचिकाकर्ता : जॉनसन पीटर एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2651/2006

याचिकाकर्ता : बी.डी. द्विवेदी एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 5481/2005

याचिकाकर्ता : हलधर प्रधान एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री संजय के अग्रवाल, श्री आशीष श्रीवास्तव, श्री मनोज परांजपे,

श्रीमती फौजिया मिर्जा, श्री अरुण कुमार शुक्ला, श्री संजय राम तामकार, श्री रेवा शंकर पटेल,



श्री रमाकांत पांडे, श्री रमाकांत मिश्रा, श्री नीलकंठ मालवीय, श्री अनूप मजूमदार, श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव, श्री वी.के.पांडेय, श्री वाई.सी.शर्मा, श्री अनुपम दुबे, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, सुश्री सुनीता जैन, श्री सौरभ शर्मा, श्री सौरभ साहनी, श्री सचिन सिंह राजपूत, श्री ए.के.यादव, श्री राघवेंद्र प्रधान और श्री एस.एस.मिश्रा, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से श्री वी.वी.एस.मूर्ति, उप महाधिवक्ता सहित श्रीमती अंजू आहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता।

अन्य उत्तरवादीगण की ओर से श्री यशवंत तिवारी, श्री अमियकांत तिवारी, श्री विनय पांडे, श्री अरविंद दुबे, श्री डी.एन.प्रजापति, श्री अवध त्रिपाठी, श्री सुनील साहू, श्री प्रदीप सक्सेना, श्री संकल्प जयसवाल, श्री एन.एल.सोनी, श्री सुनील त्रिपाठी और श्री बी.डी.गुरु, अधिवक्ता।

आदेश

(6 फरवरी, 2007 को पारित)

इन रिट याचिकाओं में विधि का यह प्रश्न अंतर्वलित है कि क्या "शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, 1978 (इसके बाद 'अधिनियम, 1978') के सह पठित मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 (इसके बाद 'वेतन नियम, 1998') के अंतर्गत पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ पाने के हकदार हैं। सभी याचिकाओं में



शामिल तथ्य समान हैं। अतः सभी याचिकाओं का इस समान आदेश द्वारा विचार कर निराकरण किया जा रहा है।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अधीन शासकीय अनुदान सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन नियम, 1998 बनाया। वेतन नियम, 1998 का नियम 9 दिनांक 1-1-1996 से संशोधित वेतनमान के भुगतान का प्रावधान करता है। वेतन नियम, 1998 के अन्य प्रावधानों में विकल्प का प्रयोग और बकाया राशि आदि के वितरण का प्रावधान है। वेतन नियम, 1998 का नियम 14 उस सीमा तक शिथिल करने की शक्ति प्रदान करता है जिस सीमा तक राज्य शासन शासकीय कर्मचारियों या शासकीय कर्मचारियों की श्रेणी के मामले में इन नियमों के किसी भी प्रावधान के संचालन को उस तरीके से और उस सीमा तक शिथिल या निलंबित कर सकती है जो लोक हित में उचित और न्यायसंगत या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। आगे यह भी प्रावधान किया गया कि ऐसी छूट या निलंबन, शासकीय कर्मचारी या शासकीय कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए, जैसा भी मामला हो, अहितकर नहीं होगा।

3. छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि अनुकूलन आदेश, 2002 (आगे से 'आदेश, 2002') पारित किया। यह आदेश, 2002, दिनांक 1 नवम्बर 2000 से इस



सीमा तक प्रवृत्त हुआ कि आदेश, 2002 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय-समय पर संशोधित विधियाँ, जो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से ठीक पूर्व मध्य प्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निरसित या संशोधित होने तक अनुकूलित की गई, इस संशोधन के अधीन कि विधियों में जहाँ कहीं भी "मध्य प्रदेश" शब्द आता है, उसके स्थान पर "छत्तीसगढ़" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। अधिनियम, 1978, वेतन नियम, 1998, माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. माध्यमिक शिक्षा नियम, 1966 को बिना किसी उपांतरण/संशोधन के यथावत रूप में अंगीकृत किया ।

4. श्री संजय के अग्रवाल, श्री आशीष श्रीवास्तव, श्री मनोज परांजपे, श्रीमती फौजिया मिर्जा, श्री अरुण कुमार शुक्ला, श्री संजय राम तामकार, श्री रेवा शंकर पटेल, श्री रमाकांत पांडे, श्री रमाकांत मिश्रा, श्री नीलकंठ मालवीय, श्री अनूप मजूमदार, श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव, श्री वो.के.पांडेय, श्री वाई.सी.शर्मा, श्री अनुपम दुबे, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, सुश्री सुनीता जैन, श्री सौरभ शर्मा, श्री सौरभ साहनी, श्री सचिन सिंह राजपूत, श्री ए.के.यादव, श्री राधवेंद्र प्रधान और श्री एस.एस.मिश्रा याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने निम्नानुसार समान तर्क दिये: -

(i) शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समान पांचवे वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ न दिया जाना अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के विपरीत है, जो राज्य शासन से अनुदान प्राप्त करने वाले अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन



भुगतान के विनियमन का प्रावधान करता है, तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश विनियम, 1965 के विनियम 73 के भी विपरीत है।

(ii) दिनांक 1-1-1996 से पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने से इनकार करना मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 और 39(घ) का उल्लंघन है क्योंकि पूर्ण अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समान नहीं माना जाता है।

(iii) दिनांक 28-11-2006 के परिपत्र (पी-2) के माध्यम से दिनांक 1-10-2006 से पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान में संशोधन प्रदान करना वेतन नियम, 1998 के नियम 9 का उल्लंघन है।

5. इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ राज्य/उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री वी.वी.एस.मूर्ति और विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्रीमती अंजू आहूजा ने तर्क प्रस्तुत किया कि इन रिट याचिकाओं को विलंब और लापरवाही के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन नियम, 1998 बनाकर पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों दिनांक 1-1-1996 से प्रभावी हुई थीं। याचिकाकर्ताओं ने वाद हेतुक उत्पन्न होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के बाद ये याचिकाएं प्रस्तुत की हैं। अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता, शासन के कर्मचारी नहीं होने के कारण शासकीय शिक्षकों को दिए जाने वाले समान लाभ के हकदार नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा पहले ही मध्य प्रदेश राज्य द्वारा



दिनांक 4-7-2000 (आर-1/1) के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि अधिनियम, 1978 को दिनांक 22-8-2000 (आर-1/2) की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें शासन से सहायता प्राप्त करने वाले गैर-शासकीय विद्यालयों को दिए जाने वाले "अनुदान", "शिक्षक", "वेतन" की परिभाषा को संशोधित किया गया है और नई परिभाषाओं के अनुसार, याचिकाकर्ता दिनांक 1-1-1996 से पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान के हकदार नहीं हैं।

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके साथ संलग्न अभिवचनों और दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7. अधिनियम, नियम और विनियम (पूर्वोक्त) मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन से पूर्व शासन से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए बनाए गए थे। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसरण में, इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आदेश, 2002 के अंतर्गत अनुकूलित किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने वी.वी.अष्टाना एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट याचिका संख्या 2029/2000) और इंदौर क्षेत्र शिक्षक कर्मचारी संघ एवं एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट याचिका संख्या 1841/2001) और कई अन्य मामलों में इसी विवादिक पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि गैर-शासकीय संस्थानों के शिक्षक उसी वेतनमान, महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते के हकदार हैं, जैसा कि



दिनांक 1-1-1996 से शासकीय संस्थानों में शिक्षकों की इसी श्रेणी को भुगतान किया गया है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक युगलपीठ ने एल.पी.ए. संख्या 48/2003, वी.वी.अष्टाना एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त) में पारित आदेश दिनांक 29-1-2003 के विरुद्ध अपील खारिज कर दी।

8. इसमें शामिल विधि के प्रश्न को समझने के लिए, विधि के कुछ सुसंगत प्रावधानों को उद्धृत करना आवश्यक है।

मध्य राज्य/छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (इसके बाद 'शिक्षा अधिनियम, 1965') की धारा 28 की उपधारा (2) का खण्ड (घ) निम्नानुसार है:-

"28. नियम बनाने की मंडल की शक्तियां -

(1) XXXXX XXXXX XXXXX

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मण्डल निम्न लिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये उपबन्ध करते हुए विनियम बना सकेगा, अर्थात् :-

(क) XXXXX XXXXX XXXXX



(ख) XXXXX XXXXX XXXXX

(ग) XXXXX XXXXX XXXXX

(घ) मण्डल के विशेषाधिकार देने के प्रयोजनों के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शर्तें अध्यापकों की अर्हता संबंधी शर्तें और उनकी सेवा शर्तें तथा ऐसी संस्थाओं के दक्षतापूर्ण एवं एक से प्रबंध का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के हेतु शाला-संहिता (स्कूल कोड) का बनाया जाना।

9. माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश विनियम, 1965 (इसके बाद विनियम, 1965) का विनियम 73 निम्नानुसार है:-



" 73. शैक्षणिक संस्थाओं में शासकीय अनुदान प्राप्त कर्मचारियों का वेतनमान, शासकीय

संस्थाओं में समतुल्य कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतनमान से कम नहीं होगा।

सहायता प्राप्त न होने वाले शैक्षणिक संस्थानों के मामले में, वेतनमान होगा, जिसका न्यूनतम

वेतन शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के वेतनमान से कम नहीं होगा। "

10. अधिनियम, 1978 के सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

"राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले अशासकीय विद्यालयों के तथा उच्च शिक्षा

संबंधी उन अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के, जो कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग से

अनुदान प्राप्त करती है, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतनों के संदाय का विनियमन करने

तथा उससे आनुषंगिक अन्य विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।"

2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) XXXXX XXXXX XXXXX

(ख) XXXXX XXXXX XXXXX

(ग) XXXXX XXXXX XXXXX

(घ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है संस्था का अध्यापक से भिन्न कोई ऐसा कर्मचारी संस्था के वेतन

पत्रक में जिसका नाम उस हैसियत में नियोजित हुए रूप में किसी पद के सम्मुख दर्शाया गया हो



किन्तु उसके (कर्मचारी के) अन्तर्गत कोई ऐसा कर्मचारी नहीं आता है जिसकी कि नियुक्ति धारा

6 के खण्ड (ग) के अधीन अनुमोदित की गई हो;

(ड) "संस्था" से अभिप्रेत है ऐसा कोई अशासकीय स्कूल या उच्च शिक्षा संबंधी ऐसी कोई

अशासकीय शिक्षण संस्था जिसे यथास्थिति राज्य सरकार से या मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा

अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान तत्समय प्राप्त होता हो और जिसकी स्थापना, प्रशासन

तथा प्रबंध मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के

अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई किसी सोसाइटी द्वारा किया

जाता हो, किन्तु उसके (संस्था के) अन्तर्गत कोई ऐसी संस्था नहीं आती है जिसकी स्थापना,

प्रशासन तथा प्रबंध। -

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा; या

(ii) राज्य सरकार द्वारा; या

(iii) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा; या

(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित, नियंत्रित, अनुमोदित या प्रायोजित

(स्पान्सर्ड) किसी ऐसे अभिकरण द्वारा, जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,

विनिर्दिष्ट करे; या



(v) मध्यप्रदेश नान-ट्रेडिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 20 सन् 1962) के अधीन

बनाये गये तथा रजिस्ट्रीकृत किये गये या उस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये

गये समझे गये किसी अव्यापारिक निगम द्वारा, किया जाता हो;

(च) XXXXX XXXXX XXXXX

(छ) XXXXX XXXXX XXXXX

(ज) XXXXX XXXXX XXXXX

(झ) "अध्यापक" से अभिप्रेत है किसी संस्था का कोई ऐसा अध्यापक जो

यथास्थिति, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी विश्वविद्यालय या
आयोग द्वारा किसी संस्था को या किसी नवीन विषय या किसी उच्चतर कक्षा को
या विधमान कक्षा में की किसी नवीन सेवक्षण को मान्यता प्रदान किये जाने /

संबंद्ध किये जाने की शर्तों की पूर्ति करने के लिये नियोजित किया गया हो तथा

संस्था के वेतन पत्रक में जिसका नाम उस हैसियत में नियोजित हुये रूप में

किसी पद के सम्मुख दर्शाया गया हो, किन्तु उसके अंतर्गत कोई ऐसा अध्यापक

नहीं आता है, जिसकी नियुक्ति धारा 6 के खण्ड (ग) के अधीन अनुमोदित की

गई हो;

(ज) "वेतन" से अभिप्रेत है, किसी अध्यापक या कर्मचारी को ऐसी दर से देय

वेतन तथा अन्य भत्तों जो कि संस्था द्वारा अधिसूचित किये जाएं;"



11. मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्थान (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) संशोधन अधिनियम, 2000 (इसके पश्चात् 'संशोधन, 2000') के सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः-

"4. मूल अधिनियम की धारा 2 में,

(i) XXXXX XXXXX XXXXX

(ii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(च) "अनुदान" से अभिप्रेत है ऐसा अनुदान जो संस्था को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदत्ता किया जाना नियत किया जाए;"

(iii) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(झ) 'अध्यापक' से अभिप्रेत है किसी संस्था का कोई ऐसा अध्यापक जो यथास्थिति, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी विश्वविद्यालय या आयोग द्वारा किसी संस्था को या किसी नवीन विषय या किसी उच्चतर कक्षा को या विद्यमान कक्षा में की किसी नवीन सेक्शन को मान्यता प्रदान किये जाने / संबंध किये जाने की शर्तों की पूर्ति करने के लिये नियोजित किया गया हो तथा संस्था के वेतन पत्रक में जिसका नाम उस हैसियत में नियोजित हुये रूप में किसी पद के सम्मुख दर्शाया गया हो, किन्तु उसके अंतर्गत कोई ऐसा अध्यापक नहीं आता है, जिसकी कि नियुक्ति धारा 6 के खण्ड (ग) के अधीन अनुमोदित की गई हो;



(iv) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ज) "वेतन" से अभिप्रेत है, किसी अध्यापक या कर्मचारी को ऐसी दर से देय वेतन तथा अन्य भत्तों जो कि संस्था द्वारा अधिसूचित किये जाएं;"

12. वेतन नियम, 1998 के सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः-

"4. पुनरीक्षित वेतनमान. - इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से वर्तमान वाले, प्रत्येक पद का वेतनमान वह होगा, जो अनुसूची के भाग-एक एवं भाग-दो में यथा विनिर्दिष्ट किया गया है।"

"9. पुनरीक्षित वेतनमान में 1 जनवरी 1996 के पश्चात वेतन का नियतन।

(1) जहाँ कोई शासकीय सेवक विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन आहरित करता रहा है और 1 जनवरी 1996 के बाद की किसी तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान में लाया जाता है, वहाँ पुनरीक्षित वेतनमान में बाद की तिथि से उसका वेतन, विद्यमान वेतनमान में उसके मूल वेतन के प्रति निर्देश से मूल नियम के अधीन नियत किया जाएगा।

(2) ऐसा कोई शासकीय सेवक जिसने 1 जनवरी 1996 से पूर्व किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, किन्तु 1 जनवरी 1996 को वह पद धारण नहीं करता था और जो उस पद पर पश्चातवर्ती नियुक्ति होने



पर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करता है, उसे मूल नियम 22 के परन्तुक का लाभ उस सीमा तक अनुज्ञात किया जाएगा, जहां तक कि उसे उस दशा में अनुज्ञेय होता जबकि वह 1 जनवरी 1996 को उस पद को धारण किये होता और उस तिथि को पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता।"

"11. वेतन के बकाया का भुगतान - इन नियमों के अधीन वेतन नियतन के परिणामस्वरूप पुनरीक्षित वेतन का दिनांक 1 जनवरी, 98 से (अर्थात फरवरी 98 में देय माह जनवरी 98 का वेतन) नगद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 1-1-96 से या आगामी या पश्चातवर्ती वेतन वृद्धि की तारीख से निर्धारित वेतन पर देय कुल परिलिखियों एवं विद्यमान वेतन पर प्राप्त कुल परिलिखियों के दिनांक से 31-12-97 तक के अंतर की बकाया राशि एक पृथक खाते, जिसका ब्यौरा राज्य शासन द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा में रखी जाएगी, जिस पर राशि जमा होने के दिनांक से कर्मचारियों को भविष्य निधि के समान ब्याज देय होगा। इस राशि को 31-12-2002 को संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जाएगा:



परन्तु उक्त दिनांक के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा समाप्ति/मृत्यु होने की स्थिति में इस खाते से तब तक की देय राशि संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में तत्समय अन्तरित कर दी जाएगी:

परन्तु यह और भी कि ऐसे कर्मचारी जिनकी 1-1-96 के पश्चात तथा वेतन निर्धारण के दिनांक के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा समाप्ति/मृत्यु हुई हैं और सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान भी किया गया है तो ऐसी स्थिति में बकाया राशि का भुगतान नगद किया जायेगा।"

13. संशोधित अनुदान-सहायता नियम, 1979 के सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः-

"4. निधियों की आवश्यकता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, इन नियमों के अंतर्गत अनुदान उन गैर-शासकीय संस्थाओं को दिए जाएँगे जो सुदृढ़ और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करती हैं। ऐसे अनुदान इन नियमों में निर्दिष्ट शर्तों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाने वाली अन्य शर्तों के भी अधीन होंगे।"

"33. (i) शासकीय अनुदान प्राप्त करने वाले किसी शैक्षणिक संस्थान के शिक्षकों, जिनमें संस्था प्रमुख भी शामिल हैं, और अन्य कर्मचारियों का



वेतनमान, शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में कर्मचारियों की संबंधित श्रेणियों के लिए स्वीकृत वेतनमान के अनुसार होगा।"

14. भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी ने पी.ए. इनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य¹ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सात माननीय न्यायाधीशों की पीठ की ओर से संबोधित करते हुए, सभ्य समाज में शिक्षा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है क्योंकि शिक्षा राष्ट्रीय संपदा है जो राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के लिए आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है: -

"शिक्षा

81. चैंबर्स डिक्शनरी के अनुसार "शिक्षा" का अर्थ है "पालन-पोषण या प्रशिक्षण; ...तन या मन की शक्तियों का सुदृढ़ीकरण; संस्कृति"।

82. एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन (पी. रामनाथ अच्यर, तृतीय संस्करण, 2005, खंड 2) में "शिक्षा" को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है:

"शिक्षा पालन-पोषण है; मानव की शक्तियों और क्षमताओं को विकसित और प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। अपने व्यापक अर्थ में, यह शब्द



केवल विद्यालय या महाविद्यालय में प्राप्त शिक्षा को ही नहीं, बल्कि नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक प्रशिक्षण के संपूर्ण पाठ्यक्रम को भी समाहित करता है; यह साहित्य के क्षेत्र में बालक की साधारण शिक्षा तक सीमित नहीं है। इसमें बालक की नैतिक और धार्मिक भावनाओं पर उचित ध्यान देना भी शामिल है। और इसे कभी-कभी 'सीखने' के पर्याय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।"

83. एकमात्र ट्रस्टी, लोक शिक्षा ट्रस्ट बनाम सीआईटी ¹¹ में "शिक्षा" शब्द का अर्थ निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था (एससीसी पृष्ठ 262, कंडिका 5)

"जीवन के कार्यों की तैयारी के लिए युवाओं को दी जाने वाली व्यवस्थित शिक्षा, स्कूली शिक्षा या प्रशिक्षण। यह एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई शैक्षणिक शिक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम को भी दर्शाता है। ...शिक्षा का अर्थ है ...औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल, मन और चरित्र को प्रशिक्षित करने और विकसित करने की प्रक्रिया।"



84. भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रकाशित "इंडिया विज्ञन 2020" में

(पृष्ठ 250 पर) कहा गया है:

"शिक्षा समाज और व्यक्ति दोनों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण

साधन है। उचित रूप से नियोजित शैक्षिक साधन सकल राष्ट्रीय

उत्पाद, सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के प्रति सकारात्मक

दृष्टिकोण का निर्माण और शासन की दक्षता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि

में योगदान दे सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति के लिए नए क्षितिज खोलती है,

नई आकांक्षाएँ प्रदान करती है और नए मूल्यों का विकास करती है।

यह क्षमताओं को सुदृढ़ बनाती है और प्रतिबद्धता का विकास करती

है। शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के प्रति

आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है और आत्म-निरीक्षण,

आत्म-निगरानी और आत्म-आलोचना की क्षमता को तीव्र करती है।"

""ज्ञान समाज", 'सूचना समाज' और 'शिक्षण समाज' शब्द अब शैक्षिक

शब्दावली में परिचित अभिव्यक्तियाँ बन गए हैं, जो किसी भी समाज

के विकास और प्रगति पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले उभरते वैश्विक

रुझानों का संचार करते हैं। इन्हें केवल रूढिवादिता या सनक के रूप

में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये ऐसे शब्द हैं जो अकल्पनीय



संभावनाओं से भरे हैं। सूचना क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकियाँ और ज्ञान उद्योग, सूचना समाज के महत्वपूर्ण आयाम हैं और ज्ञान समाज के विकास में प्रभावी योगदान देते हैं।" (पूर्ववत्, पृष्ठ 246)

"एल्विन टॉफलर (1980) ने इस विचार को आगे बढ़ाया है कि सभ्यता के आरंभ में शक्ति 'मांसपेशियों' में निहित थी। फिर शक्ति धन से जुड़ गई और 20 वीं शताब्दी में इसने अपना ध्यान 'मन' पर केंद्रित कर लिया। इस प्रकार भौतिक शक्ति से धन शक्ति और फिर मन शक्ति की ओर परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के बदलते आधारों में एक विकास है। यह परिवर्तन फ्रांसिस बेकन के इस कथन का समर्थन करता है कि 'ज्ञान ही शक्ति है'; इसी बात पर ज़ोर देते हुए और मन शक्ति की सर्वोच्चता को कायम रखते हुए, विंस्टन चर्चिल ने अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति में कहा, 'भविष्य के साम्राज्य मन के साम्राज्य होंगे।' इस प्रकार, उन्होंने बेकन की बात की पुष्टि की और ज्ञान समाज के उदय की घोषणा की।" (पूर्ववत्, पृष्ठ 247)

85. न्यायधीश क़ादरी ने पाई फ़ाउंडेशन¹ में अपनी राय में इसे बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है: (एससीसी पृष्ठ 635, कंडिका 287)



"287. शिक्षा किसी समाज को एक सभ्य राष्ट्र में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह राष्ट्रीय गतिविधि के हर क्षेत्र में देश की प्रगति को गति प्रदान करती है। नागरिकों के किसी भी वर्ग को नज़रअंदाज़ या पीछे नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि इससे समग्र रूप से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के हर वर्ग को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करे, जिन्हें दूसरों के साथ आगे बढ़ने में सहायता की आवश्यकता है।"

86. लोकतांत्रिक साख वाले एक महान राजनेता, धर्मनिरपेक्षतावादी

और शिक्षाविद् डॉ. ज़ाकिर हुसैन के अनुसार, एक सच्चा लोकतंत्र वह

है जहाँ प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो और यह

लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हम अपने देश में व्याप्त

व्यापक निरक्षरता को दूर नहीं कर देते। जब तक सार्वभौमिक शिक्षा

प्राप्त नहीं हो जाती जो प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में

सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करे, हम कभी भी एक

सच्चे लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकते। डॉ. ज़ाकिर हुसैन ने यह

सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ज्ञान के बीज यथासंभव अधिक

से अधिक नागरिकों के मन में अंकुरित हों, ताकि वे लोकतंत्र के मंच

पर अपनी निर्धारित भूमिकाएँ निभाने में सक्षम हो सकें। [डॉ. ज़ाकिर



हुसैन, जैसा कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति¹²

ए.एम. अहमदी द्वारा उद्धृत किया गया है, एससीसी (जे) पृष्ठ 2-3 ।]

87. संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत, अन्य के साथ-साथ शिक्षा के

अधिकार को राज्य द्वारा प्रभावी प्रावधान करके सुरक्षित किया जाना

अनिवार्य है। अनुच्छेद 51-क द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक कर्तव्यों में

अन्य के साथ-साथ शामिल हैं: अनुच्छेद 51-क(ज) वैज्ञानिक

दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित

करना; और अनुच्छेद 51-क(जे) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के

सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार

प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ता रहे। शिक्षा के अलावा

इनमें से कुछ भी हासिल या सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

विचारकों, दार्शनिकों और शिक्षाविदों द्वारा यह अच्छी तरह से स्वीकार

किया गया है कि यदि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसमें

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल हैं, संविधान की

प्रस्तावना में निर्धारित स्वर्णिम लक्ष्य हासिल करने हैं, तो भारतीय

राजनीति को उत्कृष्टता के साथ शिक्षित करना होगा। शिक्षा एक राष्ट्रीय

संपदा है जिसे एक समतावादी समाज के निर्माण के हित में, देश को

ऊँचा उठाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने





के लिए, यथासंभव समान रूप से और व्यापक रूप से वितरित किया जाना चाहिए। "पूर्णता की ओर अपनी भुजाएँ फैलाता अथक प्रयास" (रवीन्द्रनाथ टैगोर की उक्ति उधार लेते हुए) तब तक सफल नहीं होगा जब तक उसे शिक्षा द्वारा सुदृढ़ न किया जाए।

88. शिक्षा :

"...व्यक्तित्व का निरंतर विकास, चरित्र का सतत विकास और जीवन में गुणात्मक सुधार। एक प्रशिक्षित मन में हर अनुभव से आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करने की क्षमता होती है, चाहे वह हार हो या जीत, दुःख हो या खुशी। शिक्षा मन को प्रशिक्षित करती है, मस्तिष्क को भरना नहीं।"

(देखें बदलते समाज के लिए शाश्त्रत मूल्य, भाग ००० मानव उत्कृष्टता के लिए शिक्षा, भारतीय विद्या भवन, बॉम्बे द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ 19 पर।)

"हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो, और जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो



सके... सभी शिक्षाओं, सभी प्रशिक्षणों का उद्देश्य मनुष्य निर्माण होना चाहिए। सभी प्रशिक्षणों का उद्देश्य और अंत मनुष्य का विकास करना है। वह प्रशिक्षण जिसके द्वारा इच्छाशक्ति की धारा और अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया जा सके और उसे फलदायी बनाया जा सके, उसे शिक्षा कहते हैं।" (स्वामी विवेकानन्द, जैसा कि पूर्वोक्त, पृष्ठ 20 पर उद्धृत किया गया है।)

89. शिक्षा, चाहे दान के लिए हो या लाभ के लिए, एक उपयोगी गतिविधि के रूप में स्वीकार की जाती है, एक व्यवसाय है। फिर भी, यह समाज की सेवा होना बंद नहीं करती। और व्यवसाय होने के बावजूद, इसे व्यापार या व्यवसाय के बराबर नहीं माना जा सकता।

15. उन्नी कृष्णन, जे.पी. और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य², एम.सी. मेहता बनाम टी.एन. राज्य और अन्य³, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और अन्य, दिल्ली विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम आनंद वर्धन चंदाल, पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम नूरुद्दीन मलिक और अन्य⁴ में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के आलोक में, भारत के संविधान के भाग III में अनुच्छेद 21A को संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा निम्नानुसार समिलित किया गया है:-



"21 के शिक्षा का अधिकार- राज्य छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करेए उपबंध करेगा।"

16. सभ्य समाज में शिक्षा के महत्व के अनुरूप, राज्य विधानमंडल ने राज्य शासन से अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन के नियमित भुगतान के लिए अधिनियम, 1978 तैयार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने विद्यालयों को सरकार द्वारा संचालित और शासित करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए, गैर-शासकीय विद्यालयों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 41 के साथ अनुच्छेद 21 के तहत निर्धारित विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित भुगतान करने के लिए शत-प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की गई थी। अधिनियम, 1978 में परिभाषित वेतन, दिनांक 22-8-2000 से संशोधन अधिनियम, 2000 के लागू होने तक रखरखाव अनुदान के भुगतान के उद्देश्य से अनुमोदित दर पर वेतन और महंगाई भत्ते के भुगतान का प्रावधान करता है। संशोधन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत, वेतन को किसी शिक्षक या कर्मचारी को संस्थान द्वारा अधिसूचित दर पर देय वेतन और अन्य भत्तों के रूप में परिभाषित किया गया था। इन नियमों के अंतर्गत, शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के समान वेतन भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।



17. मध्य प्रदेश विधानमंडल ने संभाग स्तर पर बोर्ड के कार्यों, विशेषकर बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं, के अधिक कुशल पर्यवेक्षण की सुविधा के लिए शिक्षा अधिनियम, 1965 अधिनियमित किया। शिक्षा अधिनियम, 1965 की धारा 28 में बोर्ड को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। शिक्षा अधिनियम, 1965 की धारा 28 की उप-धारा (2) का खंड (घ) बोर्ड को बोर्ड के विशेषाधिकारों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की मान्यता की शर्तें, शिक्षकों की योग्यता और सेवा की शर्तें और ऐसी संस्थाओं के कुशल और एकसमान प्रबंधन के न्यूनतम मानक को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल कोड तैयार करने के संबंध में विनियम बनाने के लिए सक्षम बनाता है। शिक्षा अधिनियम, 1965 की धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने विनियम, 1965 तैयार किए विनियम, 1965 का विनियम 73, जैसा कि उद्दृत (पूर्वोक्त) है, उन शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के वेतनमान का प्रावधान करता है जो शासकीय अनुदान प्राप्त हैं। इसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि वेतनमान शासकीय संस्थान में संबंधित कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतनमान से कम नहीं होगा। उन शैक्षणिक संस्थानों के मामले में, जिन्हें सहायता नहीं मिलती है, एक वेतनमान होगा, जिसका न्यूनतम शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के वेतनमान से कम नहीं होगा। वर्तमान मामले के तथ्यों में, सभी संस्थान (स्कूल) पूर्ण रूप से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। संशोधन अधिनियम, 2000 के साथ अधिनियम, 1978 में परिभाषित 'वेतन' को विनियम, 1965 के विनियम 73 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि सरकार का उद्देश्य अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों सहित



कर्मचारियों को शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों सहित कर्मचारियों के समान वेतनमान प्रदान करना है।

18. पांचवे वेतन आयोग ने शिक्षकों एवं अन्य के वेतनमानों में संशोधन हेतु सिफारिशें कीं, जिन्हें तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया और दिनांक 1-1-1996 से देय बना दिया। (पूर्वोक्त) उल्लिखित सभी अधिनियम, नियम, विनियम, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदेश, 2002 द्वारा बिना किसी संशोधन को अंगीकृत कर लिया गया।

19. तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन नियम, 1998 बनाए, जिसके अंतर्गत संशोधित वेतन दिनांक 1-1-1996 से देय था। वेतन नियम, 1998 के प्रावधानों में निम्नलिखित श्रेणियों के शासकीय सेवकों के संबंध में वेतन नियम, 1998 की प्रयोज्यता के लिए कुछ अपवाद बनाए गए थे:-

"(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति;

(ख) अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी;

(ग) पुनर्नियोजित पेशनभोगी;



(घ) आकस्मिक और कार्यभारित कर्मचारियों से वेतन पाने वाले व्यक्ति;

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा

परिषद के वेतनमानों पर वेतन पाने वाले व्यक्ति;

(च) अखिल भारतीय सेवा वेतनमानों में वेतन पाने वाले व्यक्ति; और ,

(छ) कोई अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्ति जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा

इस संबंध में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।"

20. वेतन नियम, 1998 के नियम 3(ख) में "मूल वेतन" की परिभाषा दी गई है,

जिसका तात्पर्य मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ मूल नियम के नियम 9(21)(क)(झ) में

परिभाषित वेतन से है। वेतन नियम, 1998 के नियम 4 में अनुसूची I या अनुसूची II के

स्तंभ (4) के अनुसार, जैसा भी मामला हो, संशोधित वेतनमान के भुगतान का प्रावधान

है। वेतन नियम, 1998 के नियम 6 में नियम 11 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार

विकल्प चुनने का प्रावधान है। वेतन नियम, 1998 के नियम 7 में संशोधित वेतनमान

में प्रारंभिक वेतन के निर्धारण का प्रावधान है। वेतन नियम, 1998 के नियम 8 में

संशोधित वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि की तिथि का प्रावधान है। वेतन नियम, 1998

का नियम 9, दिनांक 1 जनवरी, 1996 के बाद संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण का

प्रावधान करता है। वेतन नियम, 1998 का नियम 11, बकाया वेतन के भुगतान का



प्रावधान करता है। यह निर्धारित किया गया था कि वेतन नियम, 1998 के अंतर्गत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप वास्तविक बकाया वेतन दिनांक 1-1-1998 से नकद देय होगा (अर्थात् जनवरी 1998 का वेतन फरवरी 1998 में देय होगा)। यह भी निर्धारित किया गया कि दिनांक 1-1-1996 को निर्धारित वेतन पर या अगली वेतन वृद्धि या उसके बाद की वेतन वृद्धि की तिथि से देय परिलब्धियों और दिनांक 31-12-1997 तक विद्यमान वेतन में प्राप्त परिलब्धियों के अंतर की पूरी राशि एक अलग खाते में रखी जाएगी, जिसका विवरण राज्य सरकार द्वारा अलग से जारी किया जाएगा और ऐसी राशि पर शासकीय कर्मचारी की सामान्य भविष्य निधि में देय ब्याज के बराबर ब्याज दिया जाएगा। यह राशि दिनांक 31-12-2002 को शासकीय कर्मचारी के संबंधित भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाएगी। वेतन नियम, 1998 के नियम 11 का प्रावधान शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामलों से संबंधित है। वेतन नियम, 1998 का नियम 14, राज्य सरकार को शासकीय कर्मचारियों या शासकीय कर्मचारियों की श्रेणी के मामले में वेतन नियम, 1998 के किसी भी प्रावधान के क्रियान्वयन को ऐसी रीति से और ऐसी सीमा तक शिथिल या निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है जो लोकहित में न्यायसंगत, समतामूलक, आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। वेतन नियम, 1998 के नियम 14 का परंतुक यह स्पष्ट करता है कि ऐसी शिथिलता या निलंबन, शासकीय कर्मचारी या शासकीय कर्मचारियों की श्रेणी, जैसा भी मामला हो, के लिए अहितकर नहीं होगा। वर्तमान मामले में, सरकार ने वेतन नियम, 1998 के नियम 14 के तहत निर्धारित शक्ति का प्रयोग नहीं किया है।



21. वर्तमान याचिकाकर्तागण, जो पूर्ण अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-शासकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं, विनियम, 1965 के विनियम 73 के अनुसार शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अपने समकक्षों को देय समान वेतनमान के हकदार हैं। यही विवादित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। अधिनियम, नियम, विनियम (पूर्वोक्त) के वही प्रावधान वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू होते हैं।

22. मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम डॉ. पी.के. श्रीवास्तव एवं अन्य⁷ के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक युगलपीठ ने शिक्षा महाविद्यालय के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ प्रदान करने के संबंध में विचार करते हुए यह निर्णय दिया कि शिक्षा महाविद्यालय के शिक्षकों सहित सभी शिक्षक संशोधित वेतनमान के हकदार हैं।

23. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने वी.वी.अष्टाना एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त), इंदौर क्षेत्र शिक्षक कर्मचारी संघ एवं एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त) और दिनेश कुमार असाटी बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट याचिका (सिविल) संख्या 13599/2004) में यह अभिनिर्धारित किया कि गैर-शासकीय संस्थानों (विद्यालयों) के शिक्षक उसी वेतनमान और महंगाई भत्ते के हकदार हैं जो शासकीय विद्यालयों में उनके समकक्षों को देय है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम वी.वी.अष्टाना एवं अन्य (लेटर पेटेंट



अपील संख्या 48/2003) में ऊपर बताए गए एकल न्यायाधीश के निर्णय को यथावत रखा और अपील को खारिज कर दिया। एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसे अनुमति मिलने के बाद सिविल अपील संख्या 6399/2004 के रूप में क्रमांकित किया गया, जो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

24. हरियाणा राज्य अध्यापक संघ एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य⁸ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया: -

"3. हमारी राय में, सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई पूरी अवधि के लिए शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतनमान और महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, और उस खाते पर होने वाले व्यय को राज्य और प्रबंधन के बीच उसी अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए जिसमें वे शिक्षकों के मौजूदा वेतन का बोझ साझा करते हैं।

25. सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य अध्यापक संघ एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य⁹ मामले में बकाया भुगतान के तरीके के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-



(i) शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों को दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों के समतुल्य लाने के लिए संशोधित किया जाएगा और वेतनमानों में ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप अंतर राशि का भुगतान चार छमाही किश्तों में किया जाएगा, पहली किश्त दिनांक 30 जून, 1990 तक देय होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से 31 दिसंबर, 1985 तक के संशोधित वेतनमानों के आधार पर अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा और ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप देय ऐसे अतिरिक्त महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान अतिरिक्त महंगाई भत्ते की पाँच किश्तों के अंतिम भाग के साथ किया जाएगा, जिसका भुगतान सितंबर 1990 में किया जाना है।

(iii) सहायता प्राप्त विद्यालयों और शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतनमानों और महंगाई भत्ते में समानता बनाए रखी जाएगी और इसके साथ ही इस उद्देश्य से शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतनमान को संशोधित किया जाएगा तथा दिनांक 1 जनवरी,



1986 से शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को देय वेतनमान और महँगाई भत्ते के समकक्ष लाया जाएगा।

(iv) दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वही वेतन और महँगाई भत्ता दिया जाएगा जो शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को दिया जाता है।

(v) दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 मार्च, 1990 तक की अवधि के लिए ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप देय वेतन और महँगाई भत्ते का बकाया चार छमाही किश्तों में दिया जाएगा, जिसमें पहली किश्त दिनांक 30 जून, 1990 तक देय होगी।

26. सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम राजपाल शर्मा एवं अन्य¹⁰ मामले में, हरियाणा राज्य अध्यापक संघ एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (पूर्वोक्त) में निर्धारित अनुपात को (पृष्ठ 276 के पैरा 6 में) अनुमोदित किया है।

27. सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन एवं अन्य बनाम रजनी वली (श्रीमती) एवं अन्य¹¹ मामले में, अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों को वेतन के लाभ की पात्रता पर विचार करते हुए, निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-



"6. यह स्थिति सर्वमान्य है कि छात्रों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना राज्य प्रशासन का परम कर्तव्य है। यह एक संवैधानिक आदेश है कि राज्य उन छात्रों को उचित शिक्षा सुनिश्चित करेगा जिन पर समाज का भविष्य निर्भर करता है। इसी सिद्धांत के अनुरूप, राज्य ने विभिन्न स्तरों पर निजी विद्यालयों की स्थापना और संचालन को नियंत्रित/विनियमित करने के लिए कानून बनाए हैं और नियम व विनियम बनाए हैं। राज्य सरकार निजी विद्यालयों को संस्थान के सुचारू संचालन और धन की कमी के कारण शिक्षण स्तर को प्रभावित न होने देने के उद्देश्य से अनुदान सहायता प्रदान करती है। इस बात पर ज़ोर देने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए योग्य और कुशल शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है। इन और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने कई मामलों में किसी विशेष संस्थान या संस्थानों के एक वर्ग के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ किए गए किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार को ठीक करने के लिए हस्तक्षेप किया है। इस विवादक पर ऐसे कुछ निर्णयों पर ध्यान देने के लिए, हम हरियाणा राज्य अध्यापक संघ बनाम हरियाणा राज्य के मामले का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें न्यायालय ने निर्देश जारी किया कि राज्य सरकार सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधन के साथ सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और



शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के बीच समानता लाने का प्रश्न भी उठाएगी जिस अवधि से पेंटीस किश्तें संबंधित हैं, उसके बाद की अवधि के लिए, ताकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए विभिन्न भत्तों को ध्यान में रखते हुए भुगतान का दावा विकसित किया जा सके। हरियाणा राज्य अध्यापक संघ बनाम हरियाणा राज्य² के मामले में, इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने हरियाणा राज्य अध्यापक संघ बनाम हरियाणा राज्य³ के निर्णय को स्पष्ट करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, एक निर्देश जारी किया कि सहायता प्राप्त विद्यालयों और शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतनमान और महंगाई भत्ते में समानता बनाए रखी जाएगी और इसी उद्देश्य से भविष्य में शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतनमान को संशोधित किया जाएगा और दिनांक 1-1-1986 से शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को देय सहायता प्राप्त विद्यालयों और महंगाई भत्ते के बराबर लाया जाएगा।

28. हाल ही में, राजस्थान राज्य एवं एक अन्य बनाम एस.आर. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़ एवं अन्य¹² मामले में तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित अवधारित किया:-



"23. विचाराधीन प्रावधान की व्याख्या करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी कल्याणकारी कानून की व्याख्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होनी चाहिए। शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार और उन्हें शासकीय शिक्षण संस्थानों के बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने शिक्षा के क्षेत्र को उच्च स्थान दिया है और इसे एक विशेष दर्जा प्रदान किया है। संविधान के विभिन्न प्रावधान शिक्षा के उन्नयन के पहलू से संबंधित हैं। उन्नी कृष्णन, जे.पी. एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993 (1) एससीसी 645) में इस न्यायालय के निर्णय में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है और टी.एम.ए. पई फाउंडेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (2002 (8) एससीसी 481) में कुछ अन्य पहलुओं पर निर्णय को रद्द कर दिए जाने के बावजूद यह पहलू अभी भी लागू है। शिक्षा में सुधार के लिए, विभिन्न राज्य सरकारें शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करती हैं और बड़े पैमाने पर, सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के शिक्षकों के साथ यथासंभव शासकीय संस्थानों के शिक्षकों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इन अधिनियमों के प्रावधानों की व्याख्या शिक्षक वर्ग के पक्ष में उदारतापूर्वक की जानी चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ कानून अन्यथा



बाध्य करता हो। हमारे ध्यान में किसी अन्य राज्य का ऐसा कानून नहीं लाया गया है जहाँ शिक्षा में सुधार के लिए सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों को समान लाभ से वंचित किया गया हो। शिक्षकों की सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाना चाहिए।"

29. छत्तीसगढ़ शासन ने परिपत्र दिनांक 28-11-2006 (पी-2) द्वारा, दिनांक 1-10-2006 से संशोधित वेतनमान का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। परिपत्र में संशोधित वेतनमान के भुगतान की तिथि वेतन नियम, 1998 के प्रावधानों के विपरीत है। वेतन नियम, 1998 में स्पष्ट रूप से दिनांक 1-1-1996 से संशोधित वेतनमान का लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। यह सर्वविदित है कि कार्यकारी निर्देश/परिपत्र नियमों, अधिनियमों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनके पूरक होते हैं।

30. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं अन्य बनाम मोहन लाल मेहरोत्रा एवं अन्य¹³ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

"12. प्रशासनिक आदेश संविधिक नियमों के उल्लंघन में जारी नहीं किए जा सकते, लेकिन इन्हें संविधिक नियमों के पूरक के रूप में जारी किया जा सकता है। (देखें: संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य मामले में



टिप्पणियाँ)। वास्तव में, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चयनात्मक और अचयनात्मक दोनों श्रेणियों के पदों पर आरक्षण लागू करने हेतु इसी प्रकार के परिपत्र जारी किए गए थे। ये परिपत्र केंद्र सरकार की नीति को लागू करने के लिए जारी किए गए थे और अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय द्वारा इन्हें यथावत रखा गया है।"

31. इस प्रकार, याचिकाकर्ता वेतन नियम, 1998 के अंतर्गत निर्धारित संशोधित वेतनमान के लिए दिनांक 1-1-1996 से पात्र हैं, जिन्हें आज तक न तो उपांतरित किया गया है और न ही संशोधित किया गया है।

32. उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्के को ध्यान में रखते हुए कि इससे राज्य के राजकोष पर पर्याप्त वित्तीय भार पड़ेगा, बकाया राशि के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देना उचित है:-

(i) याचिकाकर्ताओं को वेतन नियम, 1998 के अनुसार दिनांक 1-10-2006 से तत्काल प्रभाव से संशोधित वेतनमान देय होगा।

(ii) संशोधित वेतनमान के परिणामस्वरूप दिनांक 1-1-1996 से सितम्बर, 2006 तक भुगतान की राशि का अंतर दस छमाही किश्तों में देय होगा।



(iii) उक्त राशि संबंधित शिक्षक के सामान्य भविष्य निधि को देय व्याज के बराबर व्याज सहित संबंधित शिक्षक के सामान्य भविष्य निधि को देय होगी।

33. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से, रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, पक्षकारों को अपना वाद व्यय स्वयं वहन करना होगा।

34. इस आदेश की एक प्रति संबंधित रिट याचिकाओं के अभिलेख में संलग्न की जाए।



सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

1 (2005) 6 SCC 537

2. (1993) 1 SCC 645

3 (1996) 6 SCC 756

4 (1997) 10 SCC 549

5 (2000) 10 SCC 648



6 (1998) 8 SCC 143

7 2001 (3) M.P.L.J. 1

8 (1988) 4 SCC 571

9 1990 (Supp) SCC 306

10 (1996) 5 SCC 273

11 (2000) 2 SCC 42

12 2005 AIR SCW 4716
13 (1992) 1 SCC 20

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग

हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी

अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं

व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रामाणित माना

जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी

जाएगी।

